ANIMAL HUSBANDRY MANAGEMENT SYSTEM	**पशुपालन प्रबंधन प्रणाली** **(Animal Husbandry Management System)** पशुपालन भवन, बंगला नं-2, श्रीरामपुरा कॉलोनी, कंझावला रोड, बवाना, दिल्ली - 110039 दूरभाष: 9257019371, 9257019372 | ई-मेल: help@ahns.org.in सोमवार से शनिवार प्रातः 09:30 से सायं 05:30 तक

"गौ रक्षक" अनुबंध आधारित पद हेतु
भर्ती सूचना एवं नियम पुस्तिका - 2026

पंचायत एवं ग्रामवार आवेदन, मेरिट तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन

महत्वपूर्ण सूचना
यह पद सरकारी नौकरी नहीं है। यह नियुक्ति पशुपालन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णतः अनुबंध आधार पर होगी। अनुबंध की प्रारंभिक अवधि 01 वर्ष होगी तथा कार्य, आवश्यकता और संस्था के निर्णय के अनुसार पुनः-अनुबंध किया जा सकेगा।

विवरण	जानकारी
पद का नाम	गौ रक्षक
नियुक्ति का प्रकार	अनुबंध आधारित, 01 वर्ष के लिए; तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार री-अनुबंध
मानदेय/सैलरी	रु. 12,500/- प्रतिमाह
पद आरक्षण/संख्या	प्रत्येक ग्राम/गाँव हेतु 01 पद। यदि किसी पंचायत में 10 गाँव आते हैं, तो उस पंचायत के अंतर्गत 10 पद आरक्षित रहेंगे।
चयन पद्धति	कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। ग्राम/पंचायतवार सर्वाधिक प्रतिशत वाले शीर्ष 03 आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

क्र.	प्रक्रिया	तिथि/स्थिति
1	आवेदन प्रारंभ	1 जून
2	आवेदन की अंतिम तिथि	10 जून
3	आवेदन संशोधन	5 जून से 15 जून
4	ग्राम/पंचायतवार शीर्ष 03 आवेदकों की सूची	10 अगस्त से 20 अगस्त
5	दस्तावेज सत्यापन	15 सितम्बर से 25 सितम्बर
6	अंतिम परिणाम	5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर

अध्याय - 1 : सामान्य जानकारी

1.1 योजना/भर्ती का उद्देश्य

- ग्राम स्तर पर पशुपालन, गौ-सेवा, पशु सुरक्षा, सूचना संकलन और स्थानीय समन्वय में सहायता हेतु "गौ रक्षक" पद प्रस्तावित है।
- गौ रक्षक का कार्य ग्राम/पंचायत क्षेत्र में पशुधन से संबंधित सूचना, सहायता और प्राथमिक समन्वय उपलब्ध कराना होगा।
- यह नियुक्ति संस्था की आवश्यकता, उपलब्ध पदों और चयन प्रक्रिया के आधार पर की जाएगी।

1.2 पद की प्रकृति

- यह पद पूर्णतः अनुबंध आधारित है।
- यह किसी भी प्रकार की स्थायी, नियमित या सरकारी सेवा नहीं मानी जाएगी।
- नियुक्त व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी, शासकीय सेवक अथवा स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा।
- अनुबंध की प्रारंभिक अवधि 01 वर्ष रहेगी। संतोषजनक कार्य और संस्था की आवश्यकता के आधार पर पुनः-अनुबंध किया जा सकता है।

1.3 पद संख्या एवं ग्राम/पंचायतवार आरक्षण

- प्रत्येक ग्राम/गाँव हेतु 01 "गौ रक्षक" पद आरक्षित रहेगा।
- जिस पंचायत के अंतर्गत जितने गाँव आते हैं, उस पंचायत के लिए उतने ही पद माने जाएंगे। उदाहरण: 10 गाँव वाली पंचायत में 10 पद आरक्षित रहेंगे।
- ग्राम/पंचायत की सीमा, नाम और पात्रता क्षेत्र संस्था/स्थानीय अभिलेखों के अनुसार मान्य होंगे।

1.4 मानदेय

पद	मासिक मानदेय	भुगतान का आधार
गौ रक्षक	रु. 12,500/-	अनुबंध, उपस्थिति, कार्य-प्रदर्शन और संस्था के नियमों के अनुसार

अध्याय - 2 : पात्रता एवं आवश्यक शर्तें

2.1 सामान्य पात्रता

- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक का संबंधित ग्राम/पंचायत से संबंध/निवास विवरण आवेदन में स्पष्ट होना चाहिए।
- आवेदक स्वस्थ, अनुशासित तथा ग्राम स्तर पर कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए।
- गंभीर आपराधिक प्रकरण/दोषसिद्धि होने की स्थिति में संस्था आवेदन अस्वीकार कर सकती है।

2.2 शैक्षणिक योग्यता

- आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
- मेरिट सूची आवेदन में दर्ज शैक्षणिक प्रतिशत के आधार पर ग्राम/पंचायतवार बनाई जाएगी।
- समान प्रतिशत की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके बाद संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

2.3 आयु सीमा

न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	नोट
18 वर्ष	स्थानीय सूचना/विज्ञापन अनुसार	आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी।

2.4 दस्तावेज

क्र.	दस्तावेज	स्थिति
1	फोटो पहचान पत्र: आधार/मतदाता पहचान/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक	अनिवार्य
2	शैक्षणिक अंकसूची/प्रमाण-पत्र	अनिवार्य
3	निवास/ग्राम/पंचायत संबंधी विवरण या प्रमाण	अनिवार्य
4	पासपोर्ट आकार फोटो	अनिवार्य
5	अनुभव प्रमाण-पत्र, यदि हो	वैकल्पिक

अध्याय - 3 : आवेदन प्रक्रिया

3.1 आवेदन का माध्यम

- आवेदन संस्था द्वारा निर्धारित ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
- अधूरे, अस्पष्ट या गलत जानकारी वाले आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं।
- आवेदन में वही मोबाइल नंबर और ई-मेल दर्ज करें जिस पर सूचना प्राप्त की जा सके।

3.2 आवेदन में भरे जाने वाले मुख्य विवरण

विवरण	क्या भरना होगा
व्यक्तिगत जानकारी	नाम, पिता/माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ई-मेल
क्षेत्रीय जानकारी	राज्य, जिला, ब्लॉक/तहसील, पंचायत, ग्राम/गाँव
शैक्षणिक जानकारी	उत्तीर्ण परीक्षा, बोर्ड/संस्था, वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णांक और प्रतिशत
दस्तावेज	फोटो, पहचान पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र और निवास/ग्राम संबंधी प्रमाण

3.3 आवेदन शुल्क

- यदि आवेदन शुल्क निर्धारित किया जाता है, तो उसका विवरण अलग सूचना/विज्ञापन में दिया जाएगा।
- शुल्क जमा होने के बाद सामान्यतः वापस नहीं किया जाएगा, जब तक संस्था द्वारा अलग निर्देश न दिया जाए।
- किसी मध्यस्थ, एजेंट या अनधिकृत व्यक्ति को भुगतान न करें।

अध्याय - 4 : चयन प्रक्रिया

4.1 परीक्षा नहीं होगी

- गौ रक्षक पद हेतु कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
- प्रारंभिक छंटनी आवेदन में दर्ज शैक्षणिक प्रतिशत के आधार पर ग्राम/पंचायतवार की जाएगी।

4.2 मेरिट सूची

- प्रत्येक ग्राम/गाँव के लिए अलग से आवेदन देखे जाएंगे।
- जिस ग्राम/गाँव के लिए पद आरक्षित है, उसी ग्राम/गाँव के आवेदकों की प्रतिशत के आधार पर सूची बनाई जाएगी।
- प्रत्येक ग्राम/गाँव से सर्वाधिक प्रतिशत वाले शीर्ष 03 आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
- साक्षात्कार हेतु बुलाया जाना नियुक्ति की गारंटी नहीं होगा। अंतिम नियुक्ति दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार और संस्था के निर्णय पर निर्भर करेगी।

4.3 साक्षात्कार

घटक	विवरण
दस्तावेज सत्यापन	मूल प्रमाण-पत्रों से आवेदन में भरी जानकारी मिलाई जाएगी।
स्थानीय जानकारी	ग्राम/पंचायत, पशुधन, स्थानीय समस्याओं और कार्य-क्षेत्र की समझ देखी जा सकती है।
व्यवहार एवं संवाद	समन्वय क्षमता, अनुशासन और सेवा भावना का परीक्षण किया जा सकता है।
अंतिम निर्णय	साक्षात्कार समिति/संस्था का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अध्याय - 5 : कार्य, दायित्व एवं अनुशासन

5.1 गौ रक्षक के प्रमुख कार्य

- ग्राम क्षेत्र में गौवंश/पशुधन से संबंधित प्राथमिक सूचना संकलन और रिपोर्टिंग।
- पशु स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण, जागरूकता कार्यक्रम और संस्था के अभियान में सहयोग।
- स्थानीय पशुपालकों, पंचायत प्रतिनिधियों और संस्था के बीच समन्वय।
- पंचायत सचिव के अधीन रहकर निर्धारित कार्यों का पालन और समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- ग्राम क्षेत्र में पशु कल्याण से संबंधित सूचना समय पर संबंधित अधिकारी/समन्वयक को देना।
- संस्था द्वारा सौंपे गए रिकॉर्ड, सर्वेक्षण या रिपोर्टिंग कार्य को समय पर पूरा करना।

5.2 आचरण संबंधी शर्तें

- गौ रक्षक को संस्था के निर्देशों, अनुबंध शर्तों और स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा।
- किसी भी नागरिक, पशुपालक या आवेदक से अवैध राशि/लाभ मांगना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा।
- गलत सूचना, फर्जी दस्तावेज, अनुचित दबाव या दुर्व्यवहार की स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।
- गौ रक्षक को स्वयं को सरकारी कर्मचारी बताने या सरकारी अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं होगी।

5.3 री-अनुबंध

- 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर कार्य समीक्षा की जाएगी।
- संतोषजनक कार्य, अनुशासन, सत्यनिष्ठा और संस्था की आवश्यकता के आधार पर पुनः-अनुबंध किया जा सकता है।
- री-अनुबंध संस्था का अधिकार होगा; इसे स्वतः अधिकार या दावा नहीं माना जाएगा।

अध्याय - 6 : महत्वपूर्ण निर्देश

6.1 अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

- आवेदन करने से पहले संपूर्ण नियम पुस्तिका ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- आवेदन में दर्ज प्रतिशत और दस्तावेज सत्यापित होने चाहिए।
- साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा।
- मोबाइल नंबर और ई-मेल सक्रिय रखें। सूचना SMS, कॉल, ई-मेल, वेबसाइट या कार्यालय सूचना के माध्यम से दी जा सकती है।
- चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सिफारिश, दबाव या अनुचित माध्यम अपनाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

6.2 निरस्तीकरण के कारण

क्र.	स्थिति	परिणाम
1	गलत/फर्जी दस्तावेज	आवेदन या चयन निरस्त
2	ग्राम/पंचायत संबंधी गलत जानकारी	मेरिट/चयन निरस्त किया जा सकता है
3	साक्षात्कार में अनुपस्थित	अगले पात्र अभ्यर्थी को अवसर
4	अनुबंध शर्तों का उल्लंघन	अनुबंध समाप्त किया जा सकता है

6.3 संपर्क

पशुपालन प्रबंधन प्रणाली
पशुपालन भवन, बंगला नं-2, श्रीरामपुरा कॉलोनी, कंझावला रोड, बवाना, दिल्ली - 110039
दूरभाष: 9257019371, 9257019372
ई-मेल: help@ahns.org.in
कार्यालय समय: सोमवार से शनिवार प्रातः 09:30 से सायं 05:30 तक |